12-238
13/1/05
भारत सरकार मुद्रणालय...
25/8/04 को प्राप्त।

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

आवधक वितरण

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

PO-260
KM-30
Delh-10
CPB-220

सं. 348] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 12, 2004/श्रावण 21, 1926

No. 348] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 2004/SRAVANA 21, 1926

पूरा किया

भारतीय मानक ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2004

सा.का.नि. 522(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक कॉडर में भर्ती) विनियम में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन विनियमों को भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक कॉडर में भर्ती) संशोधन विनियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. भारतीय मानक ब्यूरो विनियम (वैज्ञानिक कॉडर में भर्ती) विनियम, 2002 के विनियम 9, उपनियम (i) में 'पात्रता की तिथि से लागू होंगे' शब्दों से आरम्भ होने वाले और 'यह संशोधित विनियम' शब्दों पर समाप्त होने वाले अंश के स्थान पर 'बशर्ते कि उक्त योजना ब्यूरो के वैज्ञानिक कॉडर के अधिकारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक कॉडर में भर्ती) संशोधन अधिनियम, 2004 के आरम्भ होने की तिथि से लागू होगी' शब्द आएंगे।

[सं. एच आर डी/ई सी/आर.ई.जी./3]

निर्मल सिंह, महानिदेशक

टिप्पणी :—मूल विनियम भारत सरकार के राजपत्र में सा.का.नि. 326(अ) दिनांक 3 मई, 2002 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक कॉडर में भर्ती) विनियम, 2002, 3 मई, 2002 से लागू हुए। उपरोक्त विनियम के विनियम 9 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो ने केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित लचीली पूरक योजना को अपनाया है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपरोक्त योजना के लाभ 9 नवम्बर, 1998 से दिए गए। यह देखा गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो को यह योजना भूतकालिक प्रभाव से लागू करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 भूतकालिक प्रभाव से विनियम बनाने की अनुमति नहीं देता। केन्द्रीय सरकार की नीति भारतीय मानक ब्यूरो के वैज्ञानिक कॉडर के अधिकारियों के लिए लचीली पूरक योजना भविष्यकालिक प्रभाव से लागू करने की है। लचीली पूरक योजना ब्यूरो के वैज्ञानिक कॉडर अधिकारियों के लिए अनजाने में लागू की गई थी। यह प्रस्ताव है कि उपरोक्त विनियम के विनियम 9 में उचित संशोधन द्वारा उपरोक्त भूल में सुधार किया जाए।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2004

G.S.R. 522(E).—In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Executive Committee of the Bureau of Indian Standards, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bureau of Indian Standards (Recruitment to Scientific Cadre) Regulations, 2002, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Recruitment to Scientific Cadre) Amendment Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 9 of the Bureau of Indian Standards (Recruitment to Scientific Cadre) Regulations, 2002, in Sub-regulation (1), for the portion beginning with the words, "and shall be effective from the date of eligibility" and ending with the words, "this revised regulations", the words, "subject to the condition that the said Scheme shall be applicable to the Scientific Cadre Officers of the Bureau from the date of commencement of the Bureau of Indian Standards (Recruitment of Scientific Cadre) Amendment Regulations, 2004" shall be substituted.

[No. HRD/EC/REG/3]

NIRMAL SINGH, Director General

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 326(E) dated the 3rd May, 2002.

Explanatory Memorandum

The Bureau of Indian Standards (Recruitment to Scientific Cadre) Regulations, 2002 came into force on the 3rd May, 2002. *Vide* Regulation 9 of the aforesaid regulations, the Bureau of Indian Standards adopted the Scheme of Flexible Complementing formulated by the Central Government. As per the aforesaid scheme benefits were to be given to the Central Government employees with effect from 9th November, 1998. However, it has been observed that the Bureau of Indian Standards has no power to implement the scheme retrospectively as the Bureau of Indian Standards Act, 1986 does not permit retrospective regulation making. It is the policy of the Central Government to apply the Flexible Complementing Scheme to the Scientific Cadre Officers of the Bureau of Indian Standards only prospectively. Inadvertently, by implication, the Flexible Complementing Scheme was applied to the Scientific Cadre Officers of the Bureau. It is proposed to rectify the above mistake by suitably amending Regulations 9 of the aforesaid regulations.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.